भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2782
उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2023
सोमवार, 16 श्रावण, 1945 (शक)

आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

2782. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में आज तक किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त उद्देश्य के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रमाणित लोगों में से केवल 22 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिला है; और

(घ) रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन करना है ताकि हमारे युवाओं को अर्थव्यवस्था के विस्तार और भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर वृहत्त अवसरों के लिए तैयार किया जा सके। एसआईएम का उद्देश्य युवाओं में भावी और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए प्रतिभा तैयार करना है।

एसआईएम के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पीएमकेवीवाई के तहत, दिनांक 30.06.2023 तक, आंध्र प्रदेश राज्य में 4.63 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) और 3.0 (2020-22) के दो घटक नामतः केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) को केंद्रीय घटक के रूप में जाना जाता है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था और केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) को राज्य घटक के रूप में जाना जाता है जिसे राज्य/संघ राज्य प्रदेश के राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

दिनांक 30.06.2023 तक आंध्र प्रदेश राज्य में सीएससीएम घटक के तहत उपयोग किए गए निधि और पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक के तहत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

आंध्र प्रदेश के लिए पीएमकेवीवाई के तहत निधि की स्थिति				
वर्ष	राज्य घटक (करोड़ रुपए में)			केन्द्रीय घटक (करोड़ रुपए में)
	आबंटित निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	उपयोग की गई निधि
पीएमकेवीवाई 2.0 (वर्ष 2016-20)	79.56	54.93	51.30	198.53
पीएमकेवीवाई 3.0 (वर्ष 2021-22)	8.22	2.46	-	8.36
पीएमकेवीवाई 4.0 (वर्ष 2023)	-	-	-	1.31
योग	**87.78**	**57.39**	**51.30**	**208.20**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में 85,401 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) और (घ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए हैं, और चूंकि आरपीएल में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शामिल है, इसलिए यह नियोजन से सम्बद्ध नहीं है। पीएमकेवीवाई के तहत, दिनांक 30.06.2023 तक, 56.81 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है और 24.38 लाख उम्मीदवारों को जॉब दी गई है, जो लगभग 43% है।

सरकार ने प्रमाणित उम्मीदवारों की नियुक्ति के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल अर्थात रोज़गार मेला और प्रशिक्षुता मेला आयोजित की हैं। उम्मीदवारों को संभावित नियोक्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से रोज़गार मेलों का आयोजन किया जाता है।

****